राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड

चौथा तल, नेहरू सहकार भवन, भवानी सिंह रोड़, जयपुर–302006

फोन न0 : 0141–2740841,फैक्स न0 : 0141–2740676,

वेबसाईट : www.excise.rajasthan.gov.in ई–मेल : dgmpurchase.rsgsm@rajasthan.gov.in

ई–बिड आमंत्रण सूचना

संस्थान के मुख्यालय जयपुर/मदिरालय झोटवाड़ा/शुगर फैक्ट्री श्रीगंगानगर तथा आर.एस.जी.एस.एम. के अन्य मदिरालयों/डिपोजें पर महिला/पुरूष सिविल गार्ड, सुरक्षा गार्ड एवं वाहन चालक

की सेवाओं के उपापन हेतु दर संविदा

द्वि–भाग बिड

भाग– प्रथम

तकनीकी बिड

बिड क्रमांक– आरएसजीएसएम/मुख्यालय/गार्ड एवं वाहन चालक/दर संविदा/2022–23/44 **दिनांक 28.11.2022**

प्री–बिड मीटिंग	:	दिनांक 29.11.2022 को दोपहर 12.30 बजे
बिड सबमिशन प्रारम्भ	:	दिनांक 01.12.2022 को दोपहर 03.00 बजे से
बिड प्रपत्र डाउनलोड करने की अन्तिम दिनांक व समय	:	दिनांक 08.12.2022 को सायं 06.00 बजे तक
बिड प्रपत्र अपलोड करने की अन्तिम दिनांक व समय	:	दिनांक 08.12.2022 को सायं 06.00 बजे तक
तकनिकी बिड खोलने की दिनांक, समय व स्थान	:	दिनांक 09.12.2022 को दोपहर 03.00 बजे मुख्यालय, आरएसजीएसएम, जयपुर
वित्तीय बिड खोलने की दिनांक व समय	:	वित्तीय बिड खोलने की सूचना ई–प्रॉक द्वारा स्वतः मैसेज के माध्यम से दी जावेगी
बिड प्रपत्र मूल्य	:	रूपये 2360 मय जीएसटी मात्र
बिड प्रोसेसिंग मूल्य	:	रूपये 1000 मात्र

राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड

<u>ई–बिड आमंत्रण सूचना</u>

बिड क्रमांक–आरएसजीएसएम / मुख्यालय / गार्ड एवं वाहन चालक / दर संविदा / 2022–23 / 44 दिनांक 28.11.2022

1. राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड के मुख्यालय,जयपुर, झोटवाडा मदिरालय एवं शुगर फेक्ट्री, श्रीगंगानगर तथा आर.एस.जी.एस.एम. के अन्य मदिरालयों / डिपोजें पर सिविल गार्ड एवं वाहन चालक की सेवाओं हेतु दर संविदा किये जाने के क्रम में इच्छुक सेवा प्रदाता व्यक्ति / फर्म / कंपनी से ई–बिड्स आमंत्रित की जाती हैं। कार्य का विवरण निम्न प्रकार है : –

<table>
<tr><th colspan="3">कार्य</th><th>अनुमानित व्यय</th><th>बिड प्रपत्र शुल्क / प्रोसेस फीस</th><th>बोली प्रतिभूति राशि</th><th>दर वैधता अवधि</th><th>दिनांक / समय जिस तक बिड अपलोड करनी है</th><th>बिड खोलने की तिथि एवं समय व स्थान</th></tr>
<tr><td rowspan="4">मुख्यालय,जयपुर, मदिरालय झोटवाडा एवं शुगर फेक्ट्री, श्रीगंगानगर तथा आर.एस.जी.एस.एम. के अन्य मदिरालयों / डिपोजें पर सिविल गार्ड एवं वाहन चालक की सेवा का उपापन</td><td>मुख्यालय, जयपुर</td><td>सिविल गार्ड– 02
वाहन चालक– 04</td><td rowspan="4">50.00 लाख रू</td><td rowspan="4">रू. 2360 मय जीएसटी / रू. 1000</td><td rowspan="4">अनुमानित व्यय का 2 प्रतिशत</td><td rowspan="4">90 दिवस</td><td rowspan="4">दिनांक 08.12.2022 सायं 06.00 बजे तक मुख्यालय पर</td><td rowspan="4">दिनांक 09.12.2022 सायंकाल 3.00 बजे मुख्यालय, आरएसजीएसम, जयपुर पर</td></tr>
<tr><td>मदिरालय, झोटवाडा</td><td>सिविल गार्ड– 05
महिला गार्ड– 04</td></tr>
<tr><td>शुगर फेक्ट्री, श्रीगंगानगर</td><td>सिविल गार्ड– 10</td></tr>
<tr><td>अन्य मदिरालय / डिपो</td><td>आवश्यकतानुसार</td></tr>
</table>

2. राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड में कार्यरत कार्मिक अथवा उनके परिवार के सदस्यों द्वारा बिड में भाग लिया जाना पूर्णतः निषिद्ध है। परिवार की श्रेणी में दादा, दादी, माता, पिता, पत्नी,पुत्र,पुत्री (दत्तक पुत्र, पुत्री सहित), पुत्रवधु, पौत्र, पौत्री, बहन, भाई शामिल होंगे। यदि संस्थान में कार्यरत कार्मिक के किसी रिश्तेदार (उपरोक्तानुसार वर्णित परिवार के सदस्यों के अलावा) द्वारा बिड में भाग लिया जाता है तो उसे लिखित में कार्मिक के साथ रिश्ते का घोषणा पत्र बिड के साथ संलग्न करना होगा।
3. बिड प्रपत्र वेबसाइट www.rajexcise.gov.in or www.sppp.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है एवं वेबसाइट eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
4. निर्धारित तिथि एवं समय के बाद कोई भी बिड स्वीकार नहीं की जावेगी।
5. **<u>ई–बिड प्रस्तुतीकरण के लिये बिडर्स हेतु निर्देशः–</u>**

क बिड में भाग लेने वाले बिडर को इन्टरनेट वेब साइट eproc.rajasthan.gov.inपर रजिस्टर करवाना होगा। ऑन लाइन बिड में भाग लेने के लिए डिजिटल सिगनेचर सर्टिफिकेट (DSC, Type-III),इन्फोरमेशन टेक्नोलॉजी एक्ट– 2000 के तहत प्राप्त करना होगा जो इलेक्ट्रोनिक बिड में साइन करने हेतु काम आयेगा। बिडर उपरोक्त डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, सी. सी. ए. (CCA) द्वारा स्वीकृत एजेन्सी से प्राप्त कर सकते हैं। जिन बिड दाताओं के पास E-Procurement Portal के लिए

पूर्व में वैध डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है, उन्हें नया डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं हैं।

ख बिडर को बिड प्रपत्र इलेक्ट्रोनिक फार्मेट में उपरोक्त वेबसाइट पर डिजिटल साइन के साथ प्रस्तुत करना होगा।

ग इलेक्टॉनिक बिड प्रपत्रों को जमा कराने से पूर्व बिडर यह सुनिश्चित कर लेवे कि बिड प्रपत्रों से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्केन कॉपी बिड प्रपत्रों के साथ अटेच कर दी गयी हैं।

घ कोई भी बिड इलेक्ट्रोनिकी फार्मेट में जमा कराने में किसी कारण से विलम्ब हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी आरएसजीएसएम की नहीं होगी।

ङ बिड प्रपत्रों में आवश्यक सभी सूचियों को संपूर्ण रूप से भरकर ऑन लाईन दर्ज करें।

च ऑन लाईन बिड भरते समय संबंधित निर्देशों का पालन नहीं करने के परिणामस्वरूप बिड प्रक्रिया में उत्पन्न किसी भी प्रकार की बाधा के लिए आरएसजीएसएम की जिम्मेदारी नहीं होगी।

छ बिडर, यदि आवश्यक हो तो, ऑनलाईन बिड सबमिशन के प्रशिक्षण हेतु सूचना प्रोद्यौगिकी एवं संचार विभाग, प्रथम तल, योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर के ई–प्रोक्यरमेन्ट सेल हेल्पडेस्क न. 0141–4022688, ई–मेलः eproc@rajasthan.gov.in वेबसाईटः www.eproc.rajasthan.gov.in से सम्पक्र कर सकते है।

ज बिड में सभी संशोधन बिड जारी करने के उपरान्त eproc.rajasthan.gov.in वेबसाइट पर ही जारी किये जावेंगे। बिडर द्वारा वेब (ई–मेल) पर संशोधनों/स्पष्टीकरण को प्राप्त नहीं करने के संबंध में किसी भी दावे को स्वीकार नहीं किया जावेगा।

झ बिड शुल्क रू. 2360 मय जीएसटी (RSGSM Ltd. payable at Jaipur के पक्ष में), बिड प्रोसेसिंग शुल्क रू. 1000, बोली प्रतिभूति राशि (RSGSM Ltd. payable at Jaipur के पक्ष में) के डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/ऑनलाईन जमा विवरणी एवं एनेक्सर 'बी' (रू. 100/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर) ऑफलाईन बन्द लिफाफे में बिड प्रस्तुतीकरण की अन्तिम तिथि एवं समय तक क्रय अनुभाग, आरएसजीएसमएम, सहकार भवन में जमा कराना होगा। अन्य कोई भी दस्तावेज ऑफलाईन स्वीकार नहीं किये जावेगें अथवा ऑनलाईन जमा कराए जाने की स्थिति में ई–मेल अथवा अन्य माध्यम से अवगत कराना होगा। बिना बिड शुल्क, बिड प्रोसेसिंग शुल्क, बोली प्रतिभूति राशि के बिड़ स्वीकार नहीं होगी।

ञ बिडर यह भी सुनिश्चित करे कि बिड संबंधी एवं चैक–लिस्ट अनुसार सभी दस्तावेजों की सत्यापित प्रति एवं बिड प्रपत्र पूर्ण रूप से भरकर हस्ताक्षरित एवं मोहरबंद कर ऑनलाईन वेबसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in पर आवश्यक रूप से अपलोड करें। ऐसा करने में असफल पाये जाने पर बिडर को तकनीकी आधार पर अयोग्य घोषित किया जा सकेगा।

Dy. General Manager (Purchase)

राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड
ई–बिड आमंत्रण सूचना

बिड क्रमांक–आरएसजीएसएम/मुख्यालय/गार्ड एवं वाहन चालक/दर संविदा/2022–23/44 दिनांक 28. 11.2022

Bids for providing services of Civil Guard/ LMV Drivers work at Head Office Jaipur, reduction center Jhotwara and Sugar Factory, Sriganganagar or other RC's/Depots are invited from interested bidders up to 06.00 PM on 08-12-2022. Other particulars of the bid may be visited on the procurement portal (http://eproc.rajasthan.gov.in, http://sppp.rajasthan.gov.in) of the state; http://rajexcise.gov.in/, departmental website.

UBN:

उपमहाप्रबन्धक (क्रय)

राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड

परिचय	
बिड क्रमांक	आरएसजीएसएम/मुख्यालय/गार्ड एवं वाहन चालक/दर संविदा/2022–23/44
उपापन संस्थान	राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड
उपापनीय सेवा का विवरण	मुख्यालय,जयपुर, मदिरालय झोटवाडा, शुगर फेक्ट्री, श्रीगंगानगर तथा आर.एस.जी.एस.एम. के अन्य मदिरालयों/डिपोजें पर सिविल गार्ड एवं वाहन चालक की सेवा का उपापन
बिड प्रपत्र का मूल्य	रू. 2360 मय जीएसटी का RSGSM Ltd. (Payable at Jaipur) के पक्ष में जारी बैंकर्स चैक/डीडी/ऑनलाईन व्यक्तिशः या डाक द्वारा कंपनी मुख्यालय की क्रय शाखा में निर्धारित तिथि व समय पूर्व/तक पहुंचाना अनिवार्य है।
बिड प्रोसेसिंग का मूल्य	रू. 1000 का MD RISL (Payable at Jaipur) के पक्ष में जारी बैंकर्स चैक/डीडी/ऑनलाईन जमा (संस्थान खाते में) व्यक्तिशः या डाक द्वारा कंपनी मुख्यालय की क्रय शाखा में निर्धारित तिथि व समय पूर्व/तक पहुंचाना अनिवार्य है।
बिड जिसको प्रस्तुत करनी है, अथवा कोई स्पष्टिकरण वाछिंत है	उप–महाप्रबंधक (क्रय) , राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, चतुर्थ तल, नेहरू सहकार भवन, जयपुर। फोन न0 : 0141–2740841, फैक्स : 0141–2740676 ई–मेल : dgmpurchase.rsgsm@rajasthan.gov.in
प्री बिड बैठक	हाँ, 29.11.2022 दोपहर 12.30 बजे
बिड की भाषा	हिन्दी व अंग्रेजी
बिडर को बिड के साथ संलग्न करना है–	बिड की शर्तों एवं चैक लिस्ट में उल्लेखितानुसार
दरों की वैधता अवधि	तकनीकी बिड खोले जाने की तिथि से 90 दिवस
अधिकृत करना	बिडदाता के लैटर हैड पर पॉवर ऑफ अटॉर्नी या अधिकृति पत्र
बिड प्रपत्र को डाउनलोड करना	rajexcise.gov.in or sppp.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है एवं वेबसाइट eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
बिड डाउनलोड व अपलोड करने का अन्तिम दिनांक व समय	दिनांक 08.12.2022 को सायं 06.00 बजे तक वेबसाइट eproc.rajasthan.gov.in
तकनिकी बिड खोलने की दिनांक व समय	दिनांक 09.12.2022 दोपहर 03.00 बजे eproc.rajasthan.gov.in द्वारा मुख्यालय, आरएसजीएसएम, जयपुर।
वित्तीय बिड डाउनलोड करने की दिनांक व समय	ई–प्रॉक द्वारा स्वतः मैसेज प्रणाली के माध्यम से दी जावेगी
अवधि जिसमें कार्य सम्पादन राशि जमा कराकर अनुबंध का निष्पादन किया जाना है	स्वीकृति पत्र जारी करने के 15 दिवस में करना होगा, अन्यथा बोली प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी।
प्रथम अपील प्राधिकारी का पदनाम व पता	संयुक्त शासन सचिव, वित्त (आबकारी) विभाग, शासन सचिवालय राजस्थान सरकार, जयपुर।
द्वितीय अपील प्राधिकारी का नाम व पता	वित्त सचिव(बजट) एवं कमीश्नर, एग्रीकल्चर ।

राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड

मैं/हम .... (व्यक्ति/फर्म/कंपनी आदि) बहैसियत ....

.(पदनाम/प्रास्थिति) द्वारा समस्त बिड दस्तावेज का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लिया गया है एवं इसके समस्त प्रावधानों व शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं तथा स्वीकारोक्ति स्वरूप सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर कर दिये गये हैं। मेरी/हमारी जानकारी निम्नानुसार है–

व्यक्ति/फर्म/कंपनी का नाम	————————————————————
	————————————————————
	————————————————————
कार्यालय पता	————————————————————
	————————————————————
	————————————————————
पत्र व्यवहार का पता	————————————————————
	————————————————————
	————————————————————
दूरभाष संख्या	कार्यालय ————————————————————
	निवास ————————————————————
	पता ————————————————————
	फैक्स ————————————————————
	ई–मेल ————————————————————
	मोबाईल ————————————————————

वैधानिक विवरणः–

आयकर विभाग पंजीयन(पैन)	————————————————————

माल एवं सेवा कर पंजीयन क्रमांक (GSTN) ----------------------------

कान्ट्रेक्ट लेबर एक्ट 1970 के अनुसार पंजीयन संख्या एवं दिनांक ----------------------------

पीएफ कोड संख्या ----------------------------

ई.एस.आई. में पंजीयन संख्या ----------------------------

माल एवं सेवा कर जमा की विवरणी का संदर्भ ----------------------------

बोली प्रतिभूति राशि मय मदिरालय का विवरण

डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक संख्या/ऑनलाइन जमा एवं दिनांक ----------------------------

डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक राशि /ऑनलाइन जमा एवं दिनांक ----------------------------

बिडर के बैंक खाते का विवरण

बिडर का बैंक का नाम एवं शाखा ----------------------------

बिडर का बैंक खाता संख्या ----------------------------

बिडर का बैंक आरटीजीएस न0 ----------------------------

हस्ताक्षर ----------------------------

नाम व पदनाम हस्ताक्षरकर्ता ----------------------------

नोट : उक्त सभी प्रविष्टियां पूर्ण व अनिवार्य रूप से भरें।

राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड

मुख्यालय जयपुर, मदिरालय झोटवाडा, शुगर फेक्ट्री, श्रीगंगानगर तथा आर.एस.जी.एस.एम. के अन्य मदिरालयों/डिपोजें पर सिविल गार्ड एवं वाहन चालक की सेवाओं के उपापन कार्य हेतु दर संविदा

<u>टिप्पणी–लोक उपापन के संबंध में राज्य मे " राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012" एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 प्रभावशील हैं एवं राज्य लोक उपापन पोर्टल http:/sppp.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध हैं। अतः समस्त बिडर को सलाह दी जाती है कि वे बोली प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व इन नियमों से भलीभांति परिचित हो लेवें। यदि लोक उपापन अधिनियम , नियम तथा इस बोली दस्तावेज के किन्हीं प्रावधानों के बीच असाम्यता हो तो अधिनियम/नियम में उल्लेखित प्रावधान तथा आशय ही मान्य/प्रभावी रहेगा।</u>

1. यह ई–बिड एक वर्ष की अवधि के लिए है, जिसमें बिडर को मुख्यालय,जयपुर, मदिरालय झोटवाडा एवं शुगर फेक्ट्री, श्रीगंगानगर तथा आर.एस.जी.एस.एम. के अन्य मदिरालयों/डिपोजें पर सिविल गार्ड एवं वाहन चालक की सेवाओं के उपापन कार्य की संपूर्ण प्रक्रिया संपादित करने का कार्य के इच्छुक सेवा प्रदाता व्यक्ति/फर्म/कंपनी से ई–बिड आमंत्रित की जाती हैं।
2. **<u>कार्य का विवरणः–</u>** मुख्यालय, जयपुर, मदिरालय झोटवाडा, शुगर फेक्ट्री, श्रीगंगानगर तथा आर.एस. जी.एस.एम. के अन्य मदिरालयों/डिपोजें पर सिविल गार्ड एवं वाहन चालक उपलब्ध कराना।
3. एक वर्ष की अवधि में मुख्यालय, जयपुर, मदिरालय झोटवाडा एवं शुगर फेक्ट्री, श्रीगंगानगर तथा आर.एस.जी.एस.एम. के अन्य मदिरालयों/डिपोजें पर सिविल गार्ड एवं वाहन चालक उपलब्ध कराना के लिये बोली प्रस्तुत की जा रही है उसके लिये बोली प्रतिभूति राशि के पेटे अनुमानित व्यय का 2.00 प्रतिशत राशि जमा कराना आवश्यक होगा। उक्त बोली प्रतिभूति राशि के अभाव में बिड स्वीकार योग्य नहीं होगी।
4. सफल बिडर को अनुबंध निष्पादन के समय अनुबन्ध राशि की 2.5 प्रतिशत राशि कार्य सम्पादन राशि के रूप में जमा करानी होगी।
5. बिडर को बिड के साथ ई.पी.एफ, ई.एस.आई, श्रम विभाग के पंजीयन/होमगार्ड/गृहविभाग/PSASRA Act 2005-2006, जी.एस.टी के रजिस्ट्रेशन नम्बर एवं पैन संख्या से संबंधित दस्तावेजो की प्रतियाँ प्रस्तुत (अपलोड) करनी होगी, जिसके अभाव में बिडर की बिड निरस्त की जा सकेगी।
6. उक्त सिविल गार्ड एवं वाहन चालक को देय राशि पर ई.एस.आई/ई.पी.एफ, एवं अन्य कर बिडर को वहन करने होंगे। निर्धारित तिथि तक बिडर द्वारा ई.पी.एफ/ई.एस.आई की राशि जमा करवाकर चालान की एक प्रति प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में बिल के साथ भी संलग्न करनी होगी। ई.पी.एफ/ई.एस.आई रिटर्न बिडर द्वारा ही भरी जावेगी एवं श्रमिकों के ई.पी.एफ/ई.एस.आई समस्त हित/लाभ दिलवाने की जिम्मेदारी बिडर होगी। इसके अभाव में बिडर को देय राशि के भुगतान में होने वाले विलम्ब का उत्तरदायित्व बिडर का स्वयं का होगा। बिडर द्वारा प्रस्तुत चालान का प्रयोग वास्तविक नियुक्त श्रमिकों को ही किए जाने की पुष्टि की जा सकेगी।
7. कान्ट्रेक्टर का लेबर रेग्यूलेशन एक्ट के तहत पंजीकृत होना आवश्यक होगा एवं कान्ट्रेक्ट लेबर (रेगुलेशन एण्ड अबोलिशन) एक्ट, 1970 एवं बाद में उक्त एक्ट में किये गये संशोधन सहित इसके समस्त प्रावधानों की पालना करनी होगी।

8. बिडर को न्यूनतम मजदूरी भुगतान अधिनियम के प्रावधानों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करनी होगी जिसके अभाव में उत्पन्न किसी भी स्थिति के लिये बिडर स्वयं उत्तरदायी होंगे।
9. यदि उपापन संस्था परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण उपापन की कोई विषयवस्तु उपाप्त नहीं करती है या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट परिमाण से कम उपाप्त करती है तो बोली लगाने वाला बोली दस्तावेजों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दावे या प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।
10. कार्य में प्रयुक्त सभी कार्मिकों से सम्बन्धित समस्त विधिक प्रावधानों/दायित्वों के लिये बिडर स्वयं उत्तरदायी होंगे।
11. बिडर द्वारा मुख्यालय, जयपुर, मदिरालय झोटवाडा, शुगर फेक्ट्री, श्रीगंगानगर तथा आर.एस.जी.एस.एम. के अन्य मदिरालयों/डिपोजें पर कुशल सिविल गार्ड/वाहन चालक ही लगाया जावेगा।
12. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में कम्पनी एवं बिडर फर्म की परस्पर सहमति से सोल ऑर्बीट्रेटर (एकल मध्यस्थ/पंच) नियुक्त किया जा सकेगा तथा उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा। एकल पंच पर होने वाला व्यय दोनों पक्षों के द्वारा समान रूप से वहन किया जावेगा।
13. अनुबंध की अवधि कार्यादेश जारी होने की तिथि से एक वर्ष के लिये होगी, जिसे संस्थान की आवश्यकतानुरूप आरटपीपी नियमों के प्रावधानान्तर्गत 3 माह के लिये अभिवृद्ध किया जा सकेगा।
14. इस अनुबन्ध के तहत किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने की दशा में सम्बन्धित क्लॉज के तहत कानूनी कार्यवाही के लिये वाद क्षेत्र जयपुर स्थित न्यायालय ही होगा।
15. निर्धारित राशि के नॉन जूडिशियल स्टॉम्प पर सफल बिडर को अनुबन्ध करना होगा एवं स्टाम्प राशि का व्यय भार बिडर का स्वयं का होगा।
16. बिडर को राज्य/केन्द्रीय सरकार के संबंधित नियमों की पालना करनी होगी तथा बिडर के बिलों में से नियमानुसार आयकर/ सर्विस टैक्स या अन्य वैधानिक कटौतियां स्त्रोत पर की जा सकेगी।
17. बिड प्रपत्र/शर्तों अनुबन्ध का भाग होगा।
18. अन्य नियम व शर्ते जिनका उल्लेख ऊपर नहीं किया गया है, आरटीपीपी एक्ट, 2012 एवं आरटीपीपी नियम, 2013 के प्रावधानानुसार होंगे।
19. अनुबन्ध की शर्तो का उल्लंघन करने या कार्य सन्तोषजनक नहीं करने की स्थिति में इस अनुबन्ध के अन्तर्गत जमा धरोहर राशि पूर्ण अथवा आंशिक रूप से जब्त की जा सकेगी, जिस पर 18 प्रतिशत जीएसटी अतिरिक्त देय / वसूली योग्य होगा।
20. सफल बिडर को काम पर लगाये गये सिविल गार्ड/वाहन चालक को भुगतान चैक/NEFT/RTGS के माध्यम से करना होगा तथा पुष्टि स्वरूप आगामी बिल के साथ संबंधित दस्तावेज की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
21. बिडर के किसी भी सिविल गार्ड/वाहन चालक भली भाँति कार्य निष्पादित नहीं करने अथवा कार्य में व्यवधान उपस्थित करने की स्थिति में बिडर को उसे तत्काल प्रभाव से पृथक करना होगा।
22. दो प्रतियो में सत्यापित बिल प्रस्तुत करने पर भुगतान किया जावेगा।
23. राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ1(8) वित्त/साविलेनि/2011 दिनांक 04.02.2014 के अनुसार बिड प्रपत्र के साथ संलग्न एनेक्चर ए,बी,सी,डी की शर्तो की पूर्ण पालना कर बोली फार्म के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है।
24. यदि सामान्य शर्तों एवं विशेष शर्तों में कोई विरोधाभास हो तो विशेष शर्त में विहित आशय ही मान्य किया जावेगा।
25. बिडर का राजस्थान ठेका श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 (यदि लागू हो) /राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 अथवा इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत अथवा इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत लाईन्सेस/रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है।

26. बिडर/संवेदक द्वारा विभिन्न पंजीकरण इत्यादि का विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत किया जावेगा :–

क्र. सं.	विवरण	लाईन्सेस/रजि. सं.	दिनांक	वर्ष	संलग्नक क्रमांक
1.	राजस्थान ठेका श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 अथवा वित्त (जी एण्ड टी) विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ2(1)/एफ.डी./एसपीएफसी/2017 दिनांक 14.11.2018 के क्रम में वचन–पत्र (Undertaking)				
2.	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952				
3.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948				
4.	वस्तु एवं सेवा कर(जीएसटी)				
5.	आयकर (पैन नंबर)				
6.	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत				
7.	PSASRA Act 2005-2006				

27. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।

28. कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक ही उक्त प्रकार की बोली में भाग लेने हेतु अर्हत होंगे। पंजीकरण प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि पूर्ण रूप से भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ संबंधित उपापन संस्था को प्रस्तुत की जायेगी।

29. संवेदक द्वारा नियोजित सिविल गार्ड/वाहन चालक को मजदूरी/वेतन का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातों में ही किया जायेगा। संबंधित संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खाते में जमा कराई गई राशि का विवरण संबंधित उपापन संस्था को आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि के विवरण बाबत् उपापन संस्था की संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।

30. वित्त (G&T) विभाग के परिपत्र सं. 1/2018 दिनांक 30.04.2018 सपठित श्रम विभाग की पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी अधिसूचना दिनांक 28.06.2022 के अनुसरण में कार्यादेश अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी के परिवर्तन होने की स्थिति में ठेकेदार द्वारा श्रमिकों को परिवर्तित दरों के अनुसार भुगतान किया जावेगा।

31. सिविल गार्ड/वाहन चालक को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर में श्रम विभाग की अधिसूचना से समय समय पर वृद्धि

होने पर उपापन संस्था द्वारा संवेदक को बढ़ी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जा सकेगा।

32. संवेदक को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त सिविल गार्ड/वाहन चालक का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. जमा कराना होगा, जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौती और संवेदक का अंशदान शामिल होगा। संवेदक द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ. और ई.एस.आई. के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि से संबंधित चालान की प्रति प्रस्तुत किए जाने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा। चालान की पुष्टि सम्बन्धित विभाग से कराई जा सकेगी।
33. संवेदक द्वारा न्यूनतम मजदूरी भुगतान नहीं करने की शिकायत करने संबंधी प्रावधान का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा।
34. राज्य में लागू श्रम नियमों के अंतर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस. आई. की राशि जमा कराने का दायित्व संवेदक का होगा।
35. संवेदक द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की राशि अतिरिक्त रुप के देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करावाने की जिम्मेदारी संवेदक की ही होगी। संवेदक द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत किये जाने पर ही आगामी माह के बिल में जी.एस.टी. का भुगतान किया जावेगा। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्वों के निर्वहन का उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।
36. श्रम विधिओं के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देशों की पालना करने का दायित्व संवेदक का ही होगा। इनकी पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिये संवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
37. यदि संवेदक एवं कार्य पर लगाये गये ठेका श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबन्धकीय जिम्मेदारी संवेदक की होगी। इसके लिये उपापन संस्था का सक्षम प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 एवं राजस्थान ठेका श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालन करने के लिये उत्तरदायी होगा।
38. नियोजित ठेका श्रमिकों के द्वारा 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में विहित प्रावधानों के अनुसार ही उन्हें को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छंटनी, मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक/बिडर का होगा।
39. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध /संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई.एस.आई. करवाने/ सामूहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा, इसके लिये उपापन संस्थान की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
40. यदि संवेदक द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किए जाने की शिकायत उपापन संस्था को प्राप्त होती है तो उपापन संस्था इस संबंध में श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित करेगी और नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक को डिबार कराने की कार्यवाही करगी।
41. दरें वित्तीय बिड (BOQ) में ही अंकित करें।
42. निर्धारित तिथि एवं समय अपलोड की गई बिड को मुख्यालय की उपापन समिति (क्रय समिति) द्वारा बिडर या उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोला (डाउनलोड) जावेगा।

43. बिडर की तकनीकी बिड में सफल होने पर ही वित्तीय बिड खोली जावेगी, तथा वित्तीय बिड खोलने की सूचना ई–प्रोक द्वारा स्वतः मैसेज के माध्यम से बिडर को प्राप्त हो जावेगी।
44. तकनीकी बिड के साथ जीएसटी पंजीयन / ईएसआई / पी.एफ. / श्रम विभाग का पंजीकरण / आयकर विभाग से पैन नंबर आदि की सत्यापित प्रतियां ऑनलाईन बिडर को प्रस्तुत करनी होगी। इनके अभाव में बिड को अस्वीकार कर दिया जावेगा।
45. सफल बिडर को 15 दिवस में अनुबंध करना होगा, व अनुबन्ध के साथ कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा करानी होगी।
46. संस्थान न्यूनतम दर को स्वीकार करने के लिये बाध्य नहीं होगी। साथ ही बिना कारण बताये बिड को निरस्त किया जा सकेगा।
47. बिडर फर्म का गत तीन वित्तीय वर्षों में औसतन वार्षिक टर्नओवर सेवा प्रदाय से ₹ 50.00 लाख से कम नहीं होना चाहिए। इस हेतु 2020–21 व 2021–22 के CA से प्रमाणित लेखे एवं CA द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। यदि वर्ष 2021–22 के लेखे तैयार नहीं हुए हैं CA द्वारा जारी 2021–22 के टर्नओवर (अनुमानित / आंकलित) का प्रमाण पत्र संलग्न करें।
48. बिडदाता / फर्म को पिछले तीन वित्तीय वर्षों 2019–20, 2020–21 एवं 2021–22 में राजकीय / केन्द्रीय विभागों / निगमों / प्राधिकरणों / बोर्ड अथवा अन्य राजकीय उपक्रमों में कम से कम 50 सुरक्षा गार्ड प्रतिवर्ष लगाने का कार्यानुभव होना आवश्यक हैं। निम्नांकित प्रारूप में अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करे

वर्ष	लगाये गये सुरक्षा गार्डो की संख्या	कार्यादेश की प्रति संलग्न करे
2019–20		
2020–21		
2021–22		

49. वित्तीय बिड प्रपत्र BOQ Excel Sheet में ऑनलाईन प्रस्तुत की जावेगी। बिडदाता द्वारा Excel Sheet में श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर (BOQ सिविल गार्ड एवं वाहन चालक (कुशल) की दर) निर्धारित कॉलमों में अंकित करें। जी.एस.टी. लागू होने पर अतिरिक्त देय होगी। अतः उक्त राशि के अतिरिक्त कोई अन्य राशि देय नहीं होगी। राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर न्यूनतम मजदूरी दर, ई.एस.आई. एवं ई.पी.एफ. दरें परिवर्तित की जाती है, तो परिवर्तित दरें लागू होंगी। सुरक्षा कार्य पर वर्तमान में लागू अथवा भविष्य में लागू होने वाले समस्त कर का भुगतान संवेदक को स्वंय के स्तर से करना होगा।
50. बिड अपलोड करने की दिनांक को प्रभावी श्रम विभाग की अधिसूचना में सिविल गार्ड एवं वाहन चालक हेतु वर्णित कुशल श्रेणी की योग्यता के अनुसार उपलब्ध करवाने होंगे। सिविल गार्ड एवं वाहन चालक की संख्या में कमी / बेशी समय–समय पर की जा सकती है जिसके अनुरूप ही संवेदक द्वारा सुरक्षागार्ड उपलब्ध करवाने होंगे।
51. संवेदक द्वारा कार्य को Sub-let नहीं किया जायेगा। ऐसा पाये जाने पर कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जब्त करते हुए अनुबन्ध निरस्त कर दिया जावेगा।
52. संवेदक / फर्म पुलिस विभाग में प्राइवेट सुरक्षा एजेन्सी अधिनियम 2005 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य में रजिस्टर्ड होनी चाहिये। इसके क्रम में सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
53. संवेदक द्वारा नियोजित किये जाने वाले सुरक्षाकर्मियों के संबंध में किसी भी सेवा / श्रम संबंधी विवाद में दायित्व संवेदक का होगा तथा ऐसे सभी सुरक्षाकर्मियों को संवेदक द्वारा यह स्पष्ट रूप से लिखित में सूचित किया जायेगा कि वे संवेदक द्वारा नियोजित सुरक्षाकर्मी हैं।

54. संवेदक द्वारा कार्य सम्पादन हेतु कार्यादेश में वर्णित संख्या में सुरक्षाकर्मी उपलब्ध कराऐं जाएंगे। यदि किसी समय संवेदक द्वारा कार्यादेश अनुसार सुरक्षाकर्मी उपलब्ध नही कराऐ जाते हैं तो सेवा प्रदाय अनुबन्ध में अनुमोदित राशि के आधार पर कम उपलब्ध कराये गये सुरक्षाकर्मियों की अनुपस्थित अवधि की राशि की गणना कर आंकलित राशि की 10 प्रतिशत अतिरिक्त राशि शास्ति के रूप में बिल में से काटी जावेगी। संवेदक द्वारा वास्तव में उपलब्ध कराये गये सुरक्षाकर्मी की उपस्थिति संबंधित मदिरालय प्रभारी द्वारा भुगतान संबंधी विवरण प्रमाणित करने के उपरान्त ही भुगतान किया जावेगा। संवेदक द्वारा कम संख्या में सुरक्षाकर्मी उपलब्ध कराने या सुरक्षाकर्मी उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में अन्य संवेदक से सुरक्षाकर्मी उपलब्ध कराने हेतु संस्थान स्वतंत्र होगा तथा संवेदक से उक्त सुरक्षाकर्मियों को निर्धारित दर से अधिक दरों पर की गई भुगतान की राशि वसूल की जावेगी।
55. श्रम विभाग/राज्य सरकार के प्रावधानो के तहत कोई लाईसेन्स अथवा अनुमति पत्र लेना आवश्यक हो तो वह संवेदक स्वयं के खर्चे पर प्राप्त कर प्रस्तुत करेगी। अपने सुरक्षाकर्मी के कार्य दिवस, कार्य धण्टे दिये गये पारिश्रमिक इत्यादि की श्रम विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में सूचना व अन्य समस्त प्रकार के रिकार्ड को तैयार करने एवं तदुपरांत सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी संवेदक की होगी तथा यह अभिलेख प्रतिमाह संबंधित प्रभारी के निरीक्षणार्थ प्रस्तुत किया जावेगा।
56. यदि संवेदक एवं उनके सुरक्षार्मियों के मध्य कोई विवाद होता है तो उसके निपटारे की जिम्मेदारी संवेदक की होगी। इस संबंध में विभाग का कोई दायित्व नहीं होगा। नियोजित कार्मिक को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने पर ओद्यौगिक विवाद अधिनियम 1974 में निहित प्रावधानों के अनुसार श्रम नियोजित कार्मिक को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस, वेतन, छटनी, मुआवजा आदि देने का दायित्व संवेदक का होगा।
57. संवेदक को सुरक्षाकर्मी का उपस्थिति कार्ड, पी.एफ. खाता संख्या एवं ई.एस.आई. कार्ड उपलब्ध कराने होगे तथा सुरक्षाकर्मियों का स्मारकवार उपस्थिति रजिस्टर संधारण करना आवश्यक होगा। मदिरालय प्रभारी द्वारा प्रतिदिन सुरक्षाकर्मियों की उपस्थिति की जांच की जावेगी।
58. संवेदक द्वारा भुगतान हेतु प्रतिमाह का बिल आगामी माह के प्रथम सप्ताह में सम्बन्धित मदिरालय प्रभारी को प्रस्तुत किया जावेगा। बिड/अनुबन्ध की समस्त शर्तों को दृष्टिगत रखकर उक्त बिल मदिरालय प्रभारी द्वारा पारित करने के उपरान्त मुख्यालय में प्रेषित किये जायेंगे। बिलों की राशि में से नियमानुसार स्त्रोत पर आयकर, माल एवं सेवा कर की कटौती एवं अन्य कोई कटौती लागू होने पर कटौती कर शेष राशि का भुगतान संवेदक को किया जावेगा।
59. संवेदक द्वारा सुरक्षाकर्मियों को देय राशि पर माल एवं सेवाकर (GST) की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक की ही होगी। संवेदक द्वारा गत माह में जमा कराये गये माल एवं सेवाकर के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। माल एवं सेवाकर की राशि जमा कराने का प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में माल एवं सेवाकर का भुगतान नहीं किया जायेगा। उक्त स्थिति में माल एवं सेवाकर के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्वों के निर्वहन का उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।
60. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई.एस.आई.सी. करवाने/सामुहिक दुर्घटना बीमा करवाने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा, इसके लिये प्राधिकरण की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
61. सफलतम बिडदाता को कार्यादेश जारी होने के सात दिवस में कार्यादेश/अनुबन्ध राशि की 2.5 प्रतिशत राशि कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि के रूप में बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चैक/एफडीआर/बैंक गारण्टी अथवा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 75 में वर्णित अन्य

प्रारूपों के माध्यम से जमा करानी होगी जिसमें पूर्व में जमा बिड प्रतिभूति राशि को भी समायोजित किया जा सकेगा। इस प्रतिभूति राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। यह राशि संतोषप्रद रूप से अनुबन्ध समाप्त होने पर नियमानुसार लौटा दी जावेगी। इस विभाग को यह अधिकार होगा कि संवदेक के विरूद्व कोई राशि/शास्ति बकाया होगी तो उक्त राशि में से समायोजित कर ली जावेगी।

न्यूनतम दरदाता को कार्यादेश जारी होने के 15 दिवस में निर्धारित राशि के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर अनुबंध पत्र टंकित कराकर प्रस्तुत करना होगा। बिना अनुबंध पत्र के कार्य का भुगतान नहीं किया जावेगा।

निर्धारित अवधि में कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराने/अनुबंध पत्र निष्पादित नहीं करने की स्थिति में संस्थान द्वारा कार्यादेश निरस्त करते हुए बिड प्रतिभूति राशि जब्त कर नियमानुसार कार्यवाही की जा सकती है।

62. कार्य हेतु उपलब्ध करवाये जाने वाले समस्त सुरक्षाकर्मियों/वाहन चालको का पुलिस वेरीफिकेशन संस्थान के कार्यस्थल पर लगाने से पुर्व सवेंदक द्वारा प्रस्तुत करवाया जावेगा एवं सम्बन्धित मदिरालय प्रभारी द्वारा अनुमोदन के पश्चात् ही कार्य स्थल पर लगाया जायेगा। सुरक्षाकर्मियों के पुलिस सत्यापन के उपरान्त पहचान पत्र की एक प्रति सम्बन्धित कार्यालय में जमा करानी होगी साथ ही एक प्रति सुरक्षाकर्मी कार्य के दौरान स्वयं के पास रखेगा।
63. संवेदक द्वारा उपलब्ध करवाये गये सुरक्षाकर्मियों के सद्आचरण/कार्यस्थल पर उचित व्यवहार आदि के सम्बन्ध में समस्त जिम्मेदारी संवेदक की होगी।
64. सुरक्षाकर्मियों की मजदूरी, वेतन, परिलाभ एंव अन्य भुगतान जैसे ई.एस.आई.सी. एवं ई.पी.एफ. आदि के भुगतान का उत्तरदायित्व संवेदक का होगा एवं सुरक्षाकर्मियों के किसी भी प्रकार के भुगतान हेतु संस्थान उत्तरदायी नही होगा।
65. सुरक्षाकर्मियो को ड्रेस, बेल्ट, जूते, टोपी, फोटो परिचय पत्र, रेनकोट, गमबूट, छतरी, सीटी, पैन, नोटबुक तथा ड्रेबन टार्च इत्यादि एवं प्रत्येक स्मारक पर दो हेण्ड हेल्ड मेटल डिटेक्टर संवेदक स्वंय के खर्चे पर ही उपलब्ध करवायेगा। सुरक्षाकर्मियो/सुपरवाईजरों की ड्रेस को संबंधित मदिरालय प्रभारीयों से अनुमोदित कराना होगा। सुरक्षाकार्य के दौरान सुरक्षाकर्मियो/ सुपरवाईजरों को ड्रेस, बेल्ट, जूते, टोपी, फोटो परिचय पत्र आदि को आवश्यक रूप से धारण करना होगा।
66. सुरक्षा सेवाओं के सफल निविदादाता को यह सुनिश्चित करना होगा कि उपलब्ध कराए गए सुरक्षाकर्मी सतर्क एवं चुस्त हों तथा अपने कर्तव्य का पूर्ण निष्ठा से निष्पादन करें। किसी सुरक्षाकर्मी द्वारा कर्त्तव्य में लापरवाही बरतने पर मदिरालय प्रभारी के निर्देश पर अविलम्ब बदलना होगा।
67. सवेंदक द्वारा उपलब्ध करवाये जाने वाले वाहन चालको के पास वाहन चलाने का **वैध व्यवसायिक लाईसेंस** होना आवश्यक हैं।

राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड
बिड एवं संविदा के लिये सामान्य शर्तें

नोट–यदि सामान्य शर्तों व विशेष शर्तों में विरोधाभास हो तो विशेष शर्त का आशय ही मान्य होगा। यदि सामान्य व विशेष शर्त को आरटीपीपी एक्ट व नियम से विरोधाभास हो तो एक्ट व नियम का अर्थ ही अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

1. बिड को बिड सूचना में दिए गए निर्देशों के अनुसार उचित रूप बिड ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।
2. (1) फर्म के गठन आदि में किसी भी परिवर्तन की सूचना संस्थान को लिखित में बिडर द्वारा दी जायेगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से, फर्म के पहले सदस्य को मुक्त नहीं किया जाएगा।

   (2)संविदा के सम्बन्ध में फर्म में किसी भी नए भागीदार/भागीदारों को बिडर द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि वे इसकी समस्त शर्तो को मानने के लिए बाध्य नहीं हो जाते एवं संस्थान को इस सम्बन्ध में लिखित इकरारनामा प्रस्तुत नहीं कर देते। प्राप्ति स्वीकृति के लिए बिडर की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप में स्वीकार की गयी किसी भागीदार की रसीद उन सब को बाध्य करेगी तथा वह संविदा के किसी प्रयोजन के लिए पर्याप्त रूप से उन्मुक्ति (डिस्चार्ज) होगी ।
3. दर शब्दों एवं अंकों दोनों में लिखी जाएगी। इसमें कोई त्रुटियां एवं/या उपरिलेखन नहीं होना चाहिए। यदि कोई शुद्धियां करनी हों तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिए एवं उन पर दिनांक सहित लघु हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।
4. विधिमान्यता :– बिड, उनके खोले जाने की तारीख से 90 दिवस की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।
5. बिडर अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी को नहीं सौंपेगा या उप–भाड़े (सब लैट) पर नहीं देगा।
6. बिडर या उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्य़क्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता होगी ।
7. बोली प्रतिभूति राशि :– Provided that, during the period commencing from the date of commencement of the Rajasthan Transparency in Public Procurement (Second Amendment) Rules, 2020 to 31.12.2021, in lieu of bid security a Bid Security Declaration shall be taken.

   (क) बिड के साथ एनेक्सर ''एफ'' अनुसार बोली प्रतिभूति राशि प्रस्तुत की जाएगी। इसके बिना बिड पर विचार नहीं किया जाएगा। यह राशि आरएसजीएसएम के पक्ष में निम्नलिखित में से किसी रूप में भी जमा करायी जानी चाहिए :–

   (1) खुली प्रतियोगी बोली, द्वि–प्रक्रमी बोली, दर संविदा, इलैक्ट्रोनिक रिवर्स नीलाम के मामले में बोली प्रतिभूति बोली के लिए प्रस्तुत उपापन की विषय वस्तु के प्राक्कलित मूल्य का 2 प्रतिशत होगी या जैसा राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे। राजस्थान के लघु उद्योगों की दशा में यह प्रदाय के लिए प्रदत्त मात्रा का 0.5 प्रतिशतहोगी और लघु उद्योगों से भिन्न रूग्ण उद्योगों की दशा में जिनके मामले औद्योगिकी एवं वित्त पुननिर्माण बोर्ड के समक्ष लम्बित है, यह बोली के मूल्य का 1प्रतिशत होगी। राज्य सरकार द्वारा रजिस्ट्रीकृत बोली लगाने वालों से विनिर्दिष्ट रियायती बोली प्रतिभूति ली जा सकेगी। उपापन प्रक्रिया में भाग लेने वाले प्रत्येक बोली लगाने वाले से, यदि छूटप्राप्त नहीं हो तो बोली आमंत्रित करने वाली सूचना में यथा–विनिर्दिष्ट बोली प्रतिभूति देने की अपेक्षा की जायेगी।

(2) बोली प्रतिभूति के स्थान पर, बोली प्रतिभूति घोषणा राज्य सरकार के विभागोंऔर सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रित या प्रबंधित उपक्रमों, निगमों, स्वायत निकायों,रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियों, सहकारी सोसाइटियों और केन्द्रीय सरकार या राजस्थानसरकार के सरकारी उपक्रम और कम्पनियों से ली जायेगी।

(3) बोली प्रतिभूति लिखत या बोली प्रतिभूति की नकद (नेफ्ट/आरटीजीएस) रसीद या बोली प्रतिभूतकरने की घोषणा आवश्यक रूप से मुहरबंद बोली के साथ होगी।

(4) उपापन संस्था के पास अन्य बोलियों में प्रतीक्षित विनिश्चय के संबंध में रखीहुई बोली लगाने वाले की बोली प्रतिभूति, नयी बोली के लिए बोली प्रतिभूति मेंसमायोजित नहीं की जायेगी। तथापि, मूल रूप से जमा करायी गयी बोली प्रतिभूति बोली के पुनः आमंत्रित किये जाने की दशा में विचार में ली जा सकती है।

(5) बोली प्रतिभूति ने, बैंकर चैक या मांगदेय ड्राफ्ट या अनुसूचित बैंक के विनिर्दिष्ट रूपविधान में बैंक गारंटी या सरकारी विभागों की दशा में ई. जी. आर. ए. एस. के माध्यम से जमा के रूप में दी जा सकेगी। बोली प्रतिभूति, बोली की मूल या बढ़ायी गयी विधिमान्यता की कालावधि से तीस दिन आगे तक विधिमान्य रहनी चाहिए।

(6) बोली दस्तावेजों में यह नियत किया जा सकेगा कि बोली प्रतिभूति का निर्गामी और बोली प्रतिभूति की पुष्टि करने वाला, यदि कोई हो, के साथ ही बोलीप्रतिभूति का प्ररूप और निबंधन उपापन संस्था को स्वीकार्य होना चाहिए। अन्तरराष्ट्रीय प्रतियोगी बोली की दशा में, बोली दस्तावेजों में यह भी नियत किया जा सकेगा कि बोली प्रतिभूति भारत में किसी निर्गामी द्वारा जारी की जायेगी।

(7) यदि अपेक्षित हो तो प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत करने से पूर्व, बोली लगाने वालाबोली प्रतिभूति के प्रस्थापित निर्गामी या प्रस्थापित पुष्टि करने वाले की स्वीकार्यता कोपुष्ट करने के लिए उपापन संस्था से अनुरोध कर सकेगा। उपापन संस्था ऐसे किसीअनुरोध का तत्परता से प्रत्युत्तर देगी।

(8) बोली प्रतिभूति के रूप में प्रस्तुत बैंक गारन्टी की संबंधित जारी करने वालेबैंक से पुष्टि करायी जायेगी। तथापि, प्रस्तावित निर्गामी या किसी प्रस्तावित पुष्टि करनेवाले की स्वीकार्यता की पुष्टि इस आधार पर बोली प्रतिभूति को अस्वीकार करने सेउपापन संस्था को अपवर्जित नहीं करती है कि निर्गामी या, यथास्थिति, पुष्टि करने वालादिवालिया हो गया है या अन्यथा उधार के लिए पात्र नहीं रह गया है।

(9) असफल बोली लगाने वालों की बोली प्रतिभूति का प्रतिदाय सफल बोली कीअंतिम स्वीकृति और करार के हस्ताक्षर करने और कार्य सम्पादन प्रतिभूति प्रस्तुत करनेके शीघ्र पश्चात् कर दिया जायेगा।

(10) बोली लगाने वाले से ली गई बोली प्रतिभूति निम्नलिखित मामलों में समपहृतकर दी जायेगी, अर्थात् :–

क जब बोली लगाने वाला बोली के खुलने के पश्चात् अपनी बोली प्रत्याहृत या उपान्तरित करता है;

ख जब बोली लगाने वाला प्रदाय/संकर्म आदेश देने के पश्चात् विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर करार, यदि कोई हो, का निष्पादन नहीं करता है;

ग जब बोली लगाने वाला विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रदाय/संकर्म आदेश के अनुसार माल या सेवा का प्रदाय या संकर्म का निष्पादन प्रारंभ करने में असफल रहता है;

घ जब बोली लगाने वाला प्रदाय/संकर्म आदेश दिये जाने के पश्चात् विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा नहीं कराता है;

ङ यदि बोली लगाने वाला अधिनियम और इन नियमों के अध्याय 6 में विनिर्दिष्ट बोली लगाने वालों के लिए विहित सत्यनिष्ठा की संहिता के किसी उपबंध का भंग करता है।

(11) सफल बोली लगाने वाले की दशा में, बोली प्रतिभूति की रकम कार्यसम्पादन प्रतिभूति की रकम में समायोजित की जा सकती है या लौटायी जा सकती हैयदि सफल बोली लगाने वाला पूर्ण रकम की कार्य सम्पादन प्रतिभूति दे देता है।

(12) उपापन संस्था निम्नलिखित दशाओं के शीघ्र पश्चात् बोली प्रतिभूति कोतत्परता से लौटा देगी, अर्थात् :–

क बोली प्रतिभूति की विधिमान्यता के अवसान पर;

ख सफल बोली लगाने वाले के द्वारा उपापन के लिए करार के निष्पादन और कार्य सम्पादन प्रतिभूति देने पर;

ग उपापन प्रक्रिया के रद्दकरण पर; या

घ बोली प्रस्तुत करने के लिए अन्तिम समय–सीमा से पूर्व बोली के प्रत्याहरण पर, जब तक कि बोली दस्तावेजों में यह अनुबंध नहीं हो कि ऐसा कोई प्रत्याहरण अनुज्ञात नहीं किया गया है।

8. कार्य सम्पादन प्रतिभूति.– कार्य सम्पादन प्रतिभूति की अर्भ्यथना राज्य सरकार के विभागों और ऐसे उपक्रमों, निगमों, स्वायत्त निकायों, रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियों, सहकारी सोसाइटियों जो राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण या प्रबंध में हों और केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों के सिवाय समस्त सफल बोली लगाने वालों से की जायेगी। तथापि, उनसे एक कार्य सम्पादन प्रतिभूति घोषणा ली जायेगी। राज्य सरकार किसी विशिष्ट उपापन या उपापन के किसी प्रवर्ग के मामले में कार्य सम्पादन प्रतिभूति के उपबंध को शिथिल कर सकेगी।

(2) कार्य सम्पादन प्रतिभूति की रकम माल और सेवाओं के उपापन के मामले मेंप्रदाय आदेश की रकम की पांच प्रतिशत या जैसी कि बोली दस्तावेज में विनिर्दिष्ट कीजाये, होगी और संकर्मों के उपापन के मामले में संकर्म आदेश की रकम की दस प्रतिशतहोगी। राजस्थान के लघु उद्योगों के मामले में माल के प्रदाय के लिए आदिष्ट परिमाणकी रकम की एक प्रतिशत होगी और लघु उद्योगों से भिन्न रूग्ण उद्योगों, जिनके मामलेऔद्योगिक और वित्तीय पुनर्निमाण बोर्ड के समझ लम्बित है, के मामले में यह प्रदायआदेश की रकम का दो प्रतिशत होगी।

(3) परन्तु राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता (संशोधन) नियम, 2020 के प्रारम्भ की तारीख (13. 08.2020) से 31.03.2021 तक की कालावधि के दौरान कार्य संपादन प्रतिभूति निम्नानुसार ली जायेगी :– (क) माल और सेवाओं के उपापन के मामले में प्रदाय आदेश की रकम का 2.5 प्रतिशत, या बोली दस्तावेज में यथा विनिर्दिष्टानुसार और संकर्मों के उपापन के मामले में संकर्म आदेश की रकम का 5 प्रतिशत; (ख) राजस्थान के लघु उद्योगों की दशा में, माल के प्रदाय के लिए आदिष्ट परिमाण की रकम का 5 प्रतिशत; और (ग) लघु उद्योगों से भिन्न, रूग्ण उद्योगों की दशा में, जिनके मामले औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) के समक्ष लंबित हैं, प्रदाय आदेश की रकम का 1 प्रतिशत; और,

(4) कार्य सम्पादन प्रतिभूति निम्नलिखित प्ररूपों में से किसी एक में प्रस्तुत कीजायेगी:–

क ''ई. जी. आर. ए. एस. के माध्यम से जमा'';

ख किसी अनुसूचित बैंक का बैंक ड्राफ्ट या बैंकर चैक;

ग राष्ट्रीय बचत पत्र और राजस्थान में किसी डाकघर द्वारा अल्प बचत केप्रोन्नयन के लिए राष्ट्रीय बचत स्कीमों के अधीन जारी कोई अन्य स्क्रिप्ट/लिखत, यदिवह सुसंगत नियमों के अधीन बंधक रखी जा सकती हो। बोली के समय वे उनके समर्पणमूल्य पर स्वीकार की जायेंगी और मुख्य डाकपाल के अनुमोदन से औपचारिक रूप सेउपापन संस्था के नाम अंतरित की जायेंगी।

घ किसी अनुसूचित बैंक की बैंक गारंटी/गारंटियां। यह जारी करने वाले बैंकसे सत्यापित करायी जायेगी। बैंक गारंटी से संबंधित अन्य शर्तें बोली प्रतिभूति के लिएनियम 42 में वर्णित के समान होंगी।

ङ किसी अनुसूचित बैंक की नियत जमा रसीद (एफडीआर)। यह बोली लगानेवाले के खाते उपापन संस्था के नाम होगी और बोली लगाने वाले द्वारा अग्रिम रूप सेउन्मोचित की जायेगी। उपापन संस्था नियत जमा रसीद को स्वीकार करने के पूर्व यहसुनिश्चित करेगी कि बोली लगाने वाला बैंक की ओर से उपापन संस्था को संबंधितबोली लगाने वाले की सहमति की अपेक्षा के बिना, नियत जमा रसीद का मांग परसंदाय/समयपूर्व संदाय करने का वचन देता है। कार्य सम्पादन प्रतिभूति के समपहरणकी दशा में नियत जमा ऐसी नियत जमा पर अर्जित ब्याज के साथ समपहृत कर लीजायेगी।

च संकर्मों के उपापन में मामले में, सफल बोली लगाने वाला संविदा करार परहस्ताक्षर करते समय अपने प्रत्येक चालू और अंतिम बिल में से बिल की रकम के दसप्रतिशत की दर से कार्य सम्पादन प्रतिभूति की कटौती के लिए विकल्प प्रस्तुत करसकेगा।,

(5) उप–नियम (3) के खण्ड (ख) से (ङ) के प्ररूप में विनिर्दिष्ट कार्य सम्पादनप्रतिभूति, वारंटी बाध्याताओं और रखरखाव और दोष दायित्व कालावधि को सम्मिलितकरते हुए बोली लगाने वाले की समस्त संविदाजात बाध्यताओं के पूरा होने की तारीख सेपरे साठ दिनों की कालावधि के लिए विधिमान्य रहेगी।

9. बोली प्रतिभूति राशि का समपहरण :– बोली प्रतिभूति राशि को निम्नलिखित मामलों में समपहृत कर लिया जाएगा :–

(1) जब बिडर बिड खोलने के बाद किन्तु, बिड को स्वीकार करने के पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें रूपान्तरण करता है।

(2) जब बिडर विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित किसी करार को, यदि कोई हो, निष्पादित नहीं करता है।

(3) जब बिडर प्रदायगी के लिए आदेश देने के बाद प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता है।

(4) जब वह विहित समय के भीतर प्रदाय आदेश के अनुसार मदों का प्रदाय प्रारम्भ करने में असफल रहता है।

10. (1) करार एंव प्रतिभूति निक्षेप :– (1) सफल बिडर को आदेश के प्राप्त होने से 15 दिन की अवधि के भीतर प्ररूप 17 में एक करार पत्र निष्पादित करना होगा। अनुबंध के साथ ही 2.5 प्रतिशत प्रतिभूति राशि जमा करानी होगी। यह प्रतिभूति प्रेषण के उस दिनांक से जिसको बिड के स्वीकार किए जाने की सूचना उसे दी गयी है, 15 दिन के भीतर जमा करायी जाएगी ।

(2) बिड के समय जमा करायी गयी बोली प्रतिभूति राशि को प्रतिभूति की राशि के लिए समायोजित किया जाएगा। प्रतिभूति की राशि किसी भी दशा में बोली प्रतिभूति राशि से कम की नहीं होगी ।

(3) प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।

(4) प्रतिभूति राशि के रूप निम्न प्रकार होंगे :–

(क) बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक ।

(5) (1) प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण :– प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहृत किया जा सकेगा :–

(क) जब संविदा के किन्ही निबन्धनों और शर्तो का उल्लघंन किया गया हो।

(ख) जब बिडर सम्पूर्ण प्रदाय सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा है।

(ग) प्रतिभूति निक्षेप को समपहृत करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाएगा। इस सम्बन्ध में संस्थान का निर्णय अन्तिम होगा।

(2) करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने के व्यय का भुगतान बिडर द्वारा किया जाएगा तथा विभाग को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिपड़त निःशुल्क दी जाएगी।

11. भुगतान :–

(1) जब तक पक्षकारों के मध्य अन्यथा सहमति न हो जाए, सेवा प्रदायगी के लिए भुगतान बिडर द्वारा संस्थान को उचित प्ररूप में सामान्य वित्तीय एंव लेखा नियमों के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर किया जाएगा ।

(2) विवादास्पद मदों के सम्बन्ध में, राशि का 10 से 25 प्रतिशत तक को रोका जाएगा तथा उस विवाद का निपटारा हो जाने पर उसका भुगतान कर दिया जाएगा।

(3)उन मामलों के सम्बन्ध में, जिनमें परीक्षण करने की जरूरत है, भुगतान तभी किया जाएगा जब उनका परीक्षण कर लिया जाए तथा प्राप्त हुए परीक्षण परिणाम विहित विनिर्देशों के अनुरूप हों।

12. यदि बिडर ऐसी शर्ते आरोपित करता है जो इसमें वर्णित शर्तो के अतिरिक्त हैं या उनके विरोध में हैं, तो उसकी बिड को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद्द कर दिया जाएगा। किसी भी सूरत में इनमें से किसी भी शर्त को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जाएगा जब तक कि संस्थान द्वारा जारी किए गए बिड स्वीकृति के पत्र में विशेष रूप से उल्लेखित न किया गया हो।

13. संस्थान किसी भी बिड को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की बिड नहीं हैं, स्वीकार करने, बिना कोई कारण बतलाये किसी भी बिड को रद्द करने या जिन वस्तुओं के लिए बिडर ने बिड दी है, उन सब के लिए या किसी एक या अधिक के लिए बिड को स्वीकार करने या एक फर्म/प्रदायकर्ता से अधिक को समान की मदों को वितरित करने के अधिकार को अपनी पास आरक्षित रखेगा।

14. बिडर करार को निष्पादित करते समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा :–

(1) यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख (डीड) की एक अनुप्रमाणित प्रति ।

(2) यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार आफ फर्म्स के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष।

(3) एक मात्र स्वामित्व के मामले में आवास एंव कार्यालय का पता, टेलीफोन नम्बर।

(4) कम्पनी के मामले में कम्पनी के रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र।

15. कार्यादेश, अनुबंध आदि के संबंध में अगर कोई भी विवाद होता है, तो संबंधित फर्म के द्वारा प्रभारी संचालक महोदय को एकल पंच नियुक्ति करने का अनुरोध किया जा सकता है। एकल पंच द्वारा लिया गया निर्णय दोनों पार्टियों को स्वीकार योग्य होगा, तथा एकल पंच पर किये गये समस्त व्यय दोनों पार्टियों द्वारा समान रूप से वहन किया जावेगा।

16. समस्त विधिक कार्यवाहियां, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो, किसी भी पक्षकार (सरकार या बिडर) द्वारा जयपुर में स्थित न्यायालयों में ही की जाएगी, अन्यत्र नहीं की जाएंगी।

Annexure A : Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall -

(a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

(b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;

(c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

(d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

(e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;

(f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;

(g) disclose conflict of interest, if any; and

(h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:

a. have controlling partners/ shareholders in common; or
b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

Doc1

Annexure B : Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to .... for procurement of .... in response to their Notice Inviting Bids No.............. Dated.............. I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:
Place:

Signature of bidder
Name :
Designation:
Address:

Doc1

Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is ____________________

The designation and address of the Second Appellate Authority is ____________________

(1) Filing an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

(a) determination of need of procurement;
(b) provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
(c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
(d) cancellation of a procurement process;
(e) applicability of the provisions of confidentiality.

(5) Form of Appeal

(a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

Doc1

(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

(6) Fee for filing appeal

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-

(i) hear all the parties to appeal present before him; and

(ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Doc1

FORM No. 1
[See rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No ....of ....
Before the .... (First / Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:
   (i) Name of the appellant:
   (ii) Official address, if any:
   (iii) Residential address:
2. Name and address of the respondent(s):
   (i)
   (ii)
   (iii)
3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer / authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:
4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:
5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:
6. Grounds of appeal:
....
....
.... (Supported by an affidavit)
7. Prayer:
....
....
....

Place ....
Date ....
Appellant's Signature

Doc1

Annexure D : Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a financial bid is substantially responsive, the procuring entity will correct arithmetical errors during evaluation of financial bids on the following basis:

i. If there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the procuring entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;

ii. If there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

iii. If there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the bidder that submitted the lowest evaluated bid does not accept the correction of errors, its bid shall be disqualified and its bid security shall be forfeited or its bid securing declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

i. At the time of award of contract, the quantity of goods, works or services originally specified in the bidding document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the bidding document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the bid and the conditions of contract.

ii. If the procuring entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the bidding document due to change in circumstances, the bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the conditions of contract.

iii. In case of procurement of goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 50% of the value of goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the supplier fails to do so, the procuring entity shall be free to arrange for the balance supply by limited bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the supplier.

3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the bidder, whose bid is accepted. However, when it is

considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the bidder, whose bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the bidder, whose bid is accepted and the second lowest bidder or even more bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the bidder, whose bid is accepted.

Annexure "E"

राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड

तकनीकी बिड चैक लिस्ट

(तकनीकी बिड के साथ स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज)

1	बिडर फर्म का नाम	
2	हैसियत जिसके तहत बिड प्रस्तुत की जा रही है– 1 व्यक्ति 2 फर्म (साझेदारी डीड की प्रति संलग्न) 3 कंपनी (मेमोरेंडम ऑफ एसोशियेशन की प्रति संलग्न)	
3	पता मय पिनकोड, दूरभाष एवं ई–मेल	
4	पैन नंबर (प्रमाण में दस्तावेज की छायाप्रति संलग्न करें)	
5	बोली प्रतिभूति राशि (अनुमानित व्यय का 2 प्रतिशत)	
6	बिड प्रपत्र के एनेक्सर बी रू. 100/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र (प्रमाण में दस्तावेज संलग्न करें)	
7	विशिष्ट शर्त संख्या 26 एवं 52 अनुसार अनुभव सम्बन्धी दस्तावेज।	
8	विशिष्ट शर्त संख्या 48 अनुसार टर्नओवर सम्बन्धी दस्तावेज।	
9	माल एवं सेवा कर (GSTN) पंजीयन संख्या (प्रमाण में दस्तावेज की छायाप्रति संलग्न करें)	
10	श्रम अनुबंध (रेग्यूलेशन एवं अबोलिशन) अधिनियम 1970 के तहत अनुज्ञा पत्र (प्रमाण में दस्तावेज की छायाप्रति संलग्न करें)	
11	ईपीएफ कोड (पीएफ विभाग द्वारा आवंटित कोड) (प्रमाण में दस्तावेज की छायाप्रति संलग्न करें)	
12	ईएसआई संख्या (ईएसआई विभाग द्वारा आवंटित संख्या) (प्रमाण में दस्तावेज की छायाप्रति संलग्न करें)	
13	हस्ताक्षरित एंव मोहरबंद बिड प्रपत्र अपलोड किया गया?	

नोट : उक्त सभी प्रविष्टियां पूर्ण व अनिवार्य रूप से भरें एवं दस्तावेजों की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें ।

SR FORM-17

AGREEMENT (See Rule 68)

An agreement made this ………………………day of ……………..between ……………………………………….. (hereinafter called **"the approved supplier"**, which expression shall, where the context so admits, be deemed to include his heirs successors, executors and administrators of the one part and **the Rajasthan State Ganganagar Sugar Mills Ltd.** (herein after called "**the RSGSM**" which expression shall, where the context so admits, be deemed to include his successors in office and assigns) of the other part.

2. Whereas the approved supplier has agreed with the RSGSM to supply to the_________ of the Rajasthan State Ganganagar Sugar Mills Ltd. at its Head Office as well as at branches offices throughout Rajasthan, all those articles set forth in the schedule appended hereto in the manner set forth in the conditions of the tender and contract appended herewith and at the rates set forth in column__________ of the said schedule.

3. And whereas the approved supplier has deposited a sum of Rs._____ in _________.

   (1) Cash/Bank Draft/ Bank Guarantee /Banker Cheque No.____________________ dated_________.

   (2) Post Office Savings Bank Pass Book duly hypothecated to the Departmental authority.

   (3) National Savings Certificates/Defence Savings Certificates, Kisan Vikas Patras, or any other script/instrument under National Saving Schemes for promotion of Small Savings, if the same can be pleased under the relevant rule. (The certificates being accepted at surrender value) as security for the due performance of the aforesaid agreement which has been formally transferred to the departmental authority.

4. Now these Presents witness:

   (1) In consideration of the payment to be made by the Government through_____ at the rates set forth in the Schedule hereto appended the approved supplier will duly supply the said articles set forth in_________ and _________ thereof in the manner set forth in the conditions of the tender and contract.

   (2) The conditions of the tender and contract for open tender enclosed to the tender notice No._____ dated_______ and also appended to this agreement will be deemed to be taken as part of this agreement and are binding on the parties executing this agreement.

   (3) Letters Nos._______ received from tenderer and letters nos.______ issued by the Government and appended to this agreement shall also form part of this agreement.

   (4)

(a) The RSGSM do hereby agree that if the approved supplier shall duly supply the said articles in the manner aforesaid observe and keep the said terms and conditions, the RSGSM will through_______ pay or cause to be paid to the approved supplier at the time and the manner set forth in the said conditions, the amount payable for each and every consignment.

(b) The mode of Payment will be as specified below:-

1.___________________

2.___________________

3.___________________

5. The delivery shall be effected and completed within the period noted below from the date of supply order:-

a) From ………………… to …………………..

6. यदि बिडर निर्धारित मापदण्ड के अनुसार पेटी भराई एवं पैकिंग कार्य करने में असफल रहता है तो ऐसे कम भराई किये गये केसेज के लिये रू. 10 प्रति पेटी की दर से शास्ति आरोपित की जावेगी जिसकी वसूली बिडर के देय मासिक भुगतान से की जावेगी। निर्धारित मापदण्ड का अभिप्राय है कि बिडर को 3एफ3एस बोटलिंग लाईन की क्षमता 900 केसेज (प्रति केस 48 पव्वे)/ 1500 केसेज (प्रति केस 12 बोतल) प्रति शिफ्ट एवं 3एफ4एस बोटलिंग लाईन की क्षमता 1100 केसेज (प्रति केस 48 पव्वे) / 1700 केसेज (प्रति केस 12 बोतल) प्रति शिफ्ट है। बिडर को संस्थान की मांग एवं मशीन की क्षमता अनुसार उत्पादन करना होगा। आवश्यकता होने पर एक या एक से अधिक पारी में भी मदिरा का उत्पादन कराया जा सकेगा।

7. All disputes arising out of this agreement and all questions relating to the interpretation of this agreement shall be decided by the Government and the decision of the Government shall be final.

In witness whereof the parties hereto have set their hands on the......... day of ....201.......

Signature of the approved supplier.	**Signature for and on behalf of Rajasthan State Ganganagar Sugar Mills Ltd.** Dy. General Manager (Purchase)
Date:	Date:
Witness No. 1	Witness No. 1
Witness No.2	Witness No.2